Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

महेन्द्र बनाम फुसाराम आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा.....136 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण मूण्ड द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि खातेदारी भूमि मौजा रोही खोडाला के खसरा नम्बर 781 में तादादी 17 बीघा पासा आथुणा (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) जरिये बैयनामा दिनांक 25.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 से खरिदशुदा है खरीद के दिन से ही उपरोक्त भूमि कब्जे दखल एवं स्वत्वाधिकार में खरीद के दिन से शान्तिपूर्वक चल आ रही हैं। उपरोक्त भूमि प्रार्थी को दिनांक 25.11.2020 को रजिस्टर्ड बैनामा से बैचान कर दिया व मौका पर कब्जा प्रार्थी को सौप दिया गया हैं। प्रार्थी दिनांक 17.07.2021 को पटवारी हल्का के पास वादगत भूमि की जमाबन्दी लेने गया तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि आप के नाम से अभी तक राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है व उपरोक्त भूमि पर फसाराम का एचडीएफसी बैंक शाखा सरदारशहर से ऋण ले रखा हैं। तब प्रार्थी पहले एचडीएफसी प्रबन्धक सरदारशहर से जाकर मिला व प्रार्थना पत्र व बैनामा की प्रति पेश की तो अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि आप तो मुझे चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा कर ला दो तो मैं फुसाराम को भुगतान नहीं दुंगा नहीं तो मुझे फुसाराम को भुगतान देना पड़ेगा। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि मै उपरोक्त भूमि पर ऋण लेउगा । अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर रहन बैय व भ्रुगतान उठा लेता है तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। हमने प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थनापत्र के तथ्यों पर गौर किया। एक तरफा बहस व शपथपत्रों पर विश्वास करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण आगामी पेशी तक वादग्रस्त आराजी मौजा रोही खोडाला के खसरा नम्बर 781 में तादादी 17 बीघा पासा आथुणा (उत्तर से दक्षिण लम्बाई में) में प्रार्थी की जरीये रजि0 खरीदशुदा भूमि में कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। ऋण आदि नहीं उठाये। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश **DILRMP** एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि एवं प्रचलित रास्तों के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में कोई आपति अप्रार्थीगण को हो तो वे आगामी तारीख पेशी पर स्वयं या अपने वकील के जरिये उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 26.08.2021 को पेश हो।	
26/08/21	**पत्रावली पेश हुई। तकुलाय फरीकेन उप...** **वास्ते**...तलबी.....आयन्दा दि. 29/9/21 **को पेश हो।** S.D.O.	
31/08/21	आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित [illegible] प्रार्थी वकील श्री रामकरण मूण्ड [illegible] द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र मामले [illegible] अपने दावे को वापिस [illegible] हेतु निवेदन किया। अतः [illegible] मामले निवेदनानुसार इसी स्टेज पर जरिये विड्राल खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	महेन्द्र 31/8/21

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:03:29 IST
Reason: SelfAttested